Q Rof

24-9-2021
8|10|21

राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात क	ख	योग	नं० रजि० मुहा०
धारा 22	6/2021	15 9 2021	22.11 2021				

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

दलीप, किरसम्, महावीर
पि. माहरराम जाट वर्गो
साकिन खरखण्डी

ब ना म

सरकार

(श्री .... वकील) (श्री .... वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 05 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट वगै0 साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 22.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह के ख0न0 14 की कुल 5.184 है0 में से 0.253 है0 में बाजरी अप्रार्थी स0 2 धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 284 की कुल 3.414 है0 में से 0.253 है0 में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वंय से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 120 /– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

22.10.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकि हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वंय से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं0 1 दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह के ख0न0 14 की कुल 5.184 है0 में से 0.253 है0 में बाजरी अप्रार्थी स0 2 धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 284 की कुल 3.414 है0 में से 0.253 है0 में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि...120....... रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को आदेश दिये जाते है कि वे कुर्क शुद्वा खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । तहसीलदार(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

मि. नं. 05/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक 980 दिनांक 8/10/21 की पालना में ग्राम खरसण्डी के खसरा नं. क्रमशः 14, 284 की गैर मु. चारागाह भूमि में फसल 2.53 है. (बाजरा 1.253 है. ग्वार) नाजायज कास्त निम्नाकिंत व्यक्तियों ① दलीप पुत्र भादरराम, किरसन, महावीर पि. भादरराम जाति जाट सा. खरसण्डी ② धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति सा. खरसण्डी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है ।

निम्नाकिंत वक्तियो नें उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क. स.	बोलीदाता	बोली की राशी I	II
1.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	510	710
2.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री श्योचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी	545	(730)
3.	श्री टिकुराम पुत्र श्री अर्जनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी	590	
4.	श्री निमाराम पुत्र श्री जसवन्त जाति जाट साकिन खरसण्डी	600	

उपरोक्त में श्री प्रहलाद पुत्र श्री श्योचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

प्रहलाद

मनोज कुमार

टिकुराम

(हस्ताक्षर) 21/10/2021 भू.अ.नि. अकरासर 21-10-2021

(हस्ताक्षर) 21/10/2021 राजस्व पटवारी प.मु. लालानिया

निमाराम

स्वीकृत (हस्ताक्षर) 21/10/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट वगै0 साकिन खरसण्डी किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954

मु0नं0...05...सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/9/.2021	पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण सं0 1 दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट वगै0 साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह के ख0न0 14 की कुल 5.184 है0 में से 0.253 है0 में बाजरी अप्रार्थी स0 2 धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 284 की कुल 3.414 है0 में से 0.253 है0 में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक...24/9/...2021 को पेश हो। आ0	
24/9/21	पत्रावली पेशी में ली गयी अप्रार्थीगण को नोटिस तामील बाद तामील प्राप्त हो चुके हैं पत्रावली किये गये ICR को फसल कुर्की रिपोर्ट अप्राप्त अतः रिपोर्ट के इंतजार में पत्रावली दिनांक 8/10/21 को पेश हो आ0	
8/10/21	ICR द्वारा कुर्की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। ICR को नीलामी हेतु आवश्यक पत्र लिखा जावे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पेश हो आ0	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

5/2

रावाउ
8/10/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

नोहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री दलीप, किशन पुत्र श्री पि. ओमप्रकाश, महावीर

जाति जाट निवासी खरसण्डी की चल / अचल संपत्ति गै.मु. चारागाह के ख.नं.

14 मे .253 हे बाजरी तथा, धर्मपाल पुत्र केसराराम

जाति जाट सा. खरसण्डी द्वारा गै.ब. चारागाह के खसरा

नं. 284 मे 0.253 हे ग्वार मी फसल को

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति खुर्द बुर्द न करे अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री राजेन्द्र सिंह श्री पटवारी जाति .... निवासी .... की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति खुर्द बुर्द हो तो रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

(हस्ताक्षर) 8/10/21

(हस्ताक्षर) 8-10-2021
भू0अ0नि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1139

दिनांकः 22.10.2021

आदेश

759

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 05 / 2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 दलीप, किरसन, महावीर पि0 भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह के ख0न0 14 की कुल 5.184 है0 में से 0.253 है0 में बाजरी अप्रार्थी स0 2 धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 284 की कुल 3.414 है0 में से 0.253 है0 में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 120 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1140-42

दिनांकः– 22.10.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested